भारतीय अल्पसंख्यकः समस्या एवं समाधान (मुसलमानों के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ० अरविन्द सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
तिलक महाविद्यालय, औरैया
ईमेलः singharvindsociology@gmail.com

सारांश

अल्पसंख्यक शब्द का अथ है जो संख्या में बहुत कम हो अल्पसंख्यक के सन्दर्भ में जनसंख्या की गणना हम कई आधारों पर जैसे– भाषा, संस्कृति, धर्म, व्यवसाय, एवं प्रजाति आदि के आधार पर कर सकते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर किया गया है लेकिन इसे कहीं पर स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है इसके बावजूद भी भारतीय संविधान में दो तरह के अल्पसंख्यक की बात कही गई है। प्रस्तुत अध्ययन धार्मिक अल्पसंख्यक पर केन्द्रित है, जिसमें उनकी प्रमुख समस्याओं जैसे– स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, समावेशन एवं सुरक्षा को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है इन समस्याओं के समाधान हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों की आलोचनात्मक समीक्षा की गई है, तथा इनके प्रभावी समाधान हेतु महत्वपूर्ण सुझावो को रखा गया है।

मुल बिन्दु

भारतीय अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसख्यक, राष्ट्रवाद, प्रतिनिधित्व, सामाजिक परिवेश, साम्प्रदायिक तनाव, संवैधानिक प्रावधान, आदि।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 31.07.2022
Approved: 16.09.2022

डॉ० अरविन्द सिंह

भारतीय अल्पसंख्यकः समस्या एवं समाधान (मुसलमानों के विशेष सन्दर्भ में)

RJPP Apr.22-Sept.22, Vol. XX, No. II,

pp.270-277
Article No. 34

Online available at *:*
https://anubooks.com/rjpp-2022-vol-xx-no-2

प्रस्तावना

सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के अनेक उच्च न्यायालयों ने भी अपने विभिन्न फैसलों में यह माना है कि धर्म भाषा या सांस्कृतिक चरित्र के आधार पर सम्पूर्ण देश या किसी राज्य में जिस समुदाय की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक हो उसे बहुसंख्यक समुदाय तथा दूसरे समुदायों को अल्पसंख्यक माना जायेगा। इसका अर्थ यह है कि धर्म के आधार पर हिन्दू समुदाय बहुसंख्यक है जबकि मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक है। भाषा के आधार पर सम्पूर्ण देष में हिन्दी भाषी बहुसंख्यक है जबकि दूसरी भाषाओं से सम्बन्धित लोग अल्पसंख्यक है। इससे भिन्न अनेक समाजशास्त्री यह मानते है कि बहुसंख्यक वर्ग की तुलना में एक विशेष धर्म या भाषा से सम्बन्धित वर्ग की जनसंख्या का कम होना ही अल्पसंख्यक वर्ग की कसौटी नहीं है बल्कि केवल उसी वर्ग को अल्पसंख्यक कहा जा सकता है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से उपेक्षित हो तथा राजनीतिक शक्ति संरचना में उसे विभिन्न अधिकारों से वंचित किया जाता हो, दूसरी बात यह भी है कि किसी भी समाज में अल्पसंख्यक वर्गों की प्रस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उदा० के लिए ब्रिटिश शासनकाल में भारत में हिन्दुओं और मुसलमानों की अपेक्षा अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय नहीं माना जा सकता था।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है–

1. भारतीय अल्पसंख्यक को परिभाशित करना।
2. धार्मिक अल्पसंख्यकों की प्रमुख समस्याओं को रेखांकित करना।
3. धार्मिक अल्पसंख्यकों के समाधान हेतु किये जा रहे सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों की आलोचनात्मक समीक्षा करना।
4. धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधानों की महत्ता का उल्लेख करना।
5. समस्याओं के समाधान हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन पद्धति

भारतीय अल्पसंख्यक : समस्या एवं समाधान नामक विषय पर किये जाने वाले अध्ययन में अध्ययन उद्देश्यों को दृष्टिगत कर रखते हुऐ प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का प्रयोग किया जायेगा। द्वितीय समंको को प्राप्त करने हेतु पत्र/पत्रिकाओं, विभिन्न पुस्तकों एवं इण्टरनेट का सहारा लिया जायेगा।

भारतीय अल्पसंख्यक को और अधिक स्पष्ट करने के लिउ निम्नांकित परिभाषाओं का सहारा लिया जा सकता है।

मानवाधिकार आयोग– ने अल्पसंख्यक समुदाय की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ''अल्पसंख्यकों के अन्तर्गत केवल वे समूह या समुदाय आते है जो अधिक जनसंख्या वाले समूहों या समुदायों से भिन्न कुछ अलग सजातीय धार्मिक, भाषायी या चारित्रिक विशिष्टता रखते हों और जो अपनी इस विशिष्टता को बनाये रखना चाहते हों।''

आर्नोल्ड एम0रोज– ने किसी समुदाय के लोगो की संख्या को महत्व देते हुए कुछ विशेषताओं के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित किया है आपके अनुसार ''अल्पसंख्यक

वह समुदाय है जो अपने आपको राष्ट्रीय, धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर समाज के दूसरे समुदायों से अलग मानता है और समाज के दूसरे समुदाय भी उसे नकारात्मक रूप से अपने से अलग मानते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय तुलनात्मक रूप से कम शक्तिशाली होता है जिससे प्रायः उसे भेदभाव और पक्षपातपूर्ण व्यवहार का शिकार होना पड़ता हैं जो बहुसंख्यक वर्ग द्वारा तिरस्कृत होता है और समाज में जिसकी शक्ति बहुत कम होती है।

जगनाथ पाठी– ने अल्पसंख्यक समूहों की कोई परिभाषा न देकर उन समूहों को अल्पसंख्यक समूह कहा है जिनमें निम्नांकित 4 विशेषतायें होती हैं–

1. किसी न किसी रूप में समूह बहुसंख्यक समुदाय के अधीन होता है।
2. इसकी सांस्कृतिक और भौतिक विशेषतायें बहुसंख्यकों से भिन्न होती हैं ।
3. इस वर्ग को अक्सर बहुसंख्यकों से हीन समझा जाता है ।
4. एक समग्र राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में इनकी भागीदारी बहुत कम होती है ।

जगनाथ पाठी का मानना है कि बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समूहों की पहचान कुछ पूर्वाग्रहों पर आधारित होती है उनमें भेदभाव का व्यवहार किया जाता है तथा अल्पसंख्यक समूह स्वयं भी समझने लगते हैं कि उन्हें उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है जो बहुसंख्यक समुदाय को प्राप्त होते हैं ।

2001 की जनगणना के आधार पर भारत में बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यकों की सांख्यिकी स्थिति निम्न प्रकार है–

भारत की कुल जनसंख्या 1028610328 है जिसमें विभिन्न धर्मों का विभिन्न मदों में प्रतिशत निम्न तालिका से स्पष्ट है–

तालिका नं0 01

धर्म	कुल जनसंख्या में प्रतिशत	लिंगानुपात	साक्षरता प्रतिशत	महिला साक्षरता
हिन्दू	80.05	931	65.1	53.2
मुस्लिम	13.4	936	59.1	34.9
ईसाई	2.3	1009	80.3	76.2
सिक्ख	1.9	893	69.4	63.1
बौद्ध	0.8	953	72.7	61.7
जैन	0.4	940	94.1	90.6

2001 की जनगणना के अनुसार उ0प्र0 की कुल जनसंख्या 133979263 में बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यकों की जनांकिकी स्थिति निम्न सारणी में प्रदर्शित है।

तालिका नं 02

धर्म	कुल जनसंख्या में प्रतिशत	लिंगानुपात	साक्षरता प्रतिशत	महिला साक्षरता
हिन्दू	80.06	894	58.0	43.1
मुस्लिम	18.5	918	47.8	37.4
ईसाई	0.1	961	72.8	67.4
सिक्ख	0.4	877	71.9	63.8
बौद्ध	0.2	895	56.2	40.3
जैन	0.1	911	93.2	90.3

जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में धार्मिक जनसंख्या का प्रतिशत निम्नवत् है– हिन्दू (79.8%) इस्लाम (14.2%) ईसाई (2.3%) सिक्ख (1.7%) बौद्ध (0.7%) तथा जैन (0.4%) है।

अल्पसंख्यकों की समस्यायें

भारत में अल्पसंख्यकों की समस्यायें निम्नांकित दशाओं से अधिक सम्बन्धित हैं–

1. भारत में समय–समय पर घटने वाली साम्प्रदायिक घटनाओं के कारण अल्पसंख्यक समुदाय अपने आपको असुरक्षित महसूस करता है।

   1947 से अब तक हुए दंगों के कुछ नगण्य अपवादों को छोड़कर मरने वालों में मुसलमानों की संख्या हिन्दुओं से अधिक है। 1968 से 1980 के बीच देश में कुल 3949 दंगे हुए जिसमें कुल 2289 लोग मारे गये मरने वालों में 530 हिन्दू तथा 1598 मुसलमान थे।

   अल्पसंख्यकों के साथ पुलिस का पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी उनमें असुरक्षा की भावना पैदा करता है। **राय विभूति नारायण** ने **साम्प्रदायिक दंगे व पुलिस** नामक अपने शोध में कहा है कि ''अधिकांष दंगों में पुलिस का व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहा है। पुलिस ने कानून एवं व्यवहार लागू करने वाली तटस्थ संस्था से अधिक एक हिन्दू बल के रूप में कार्य किया है, बलपूर्वक निरोधात्मक गिरफ्तारी कर्फ्यू लागू करने, पुलिस थानों में व्यक्तियों के साथ व्यवहार, तथ्यों की रिपोर्टिंग तथा दंगों के दौरान मुकदमों की तफ्तीश और पैरवी में पुलिस के आचरण में स्पष्ट भेद दिखाई पड़ता है। इन सारे प्रसंगों में मुसलमान ही शिकार होते हैं।''

2. अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है– ''सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की संख्या में केवल 60517 मुसलमान हैं विभिन्न प्रकार की नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत है सुरक्षाबल 2.3 आई०ए०एस० 03 आई०एफ०एस०– 1.8 आई०पी०एस० – 04. रेलवे– 4.5, बैंक व रिजर्व बैंक 2.2 डाकसेवा– 5, केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम, 3.3 राज्यों के सार्वजनिक उद्यम तथा सरकारी सेवाओं में किसी भी राज्य में मुसलमानों की आबादी के अनुपात में नौकरियां नहीं है। न्यायपालिका में भी मुसलमानों का प्रतिशत कम हैं समस्त डिस्ट्रिक जजों में उनका प्रतिशत मात्र 27 हैं जिन 12 राज्यों में मुस्लिम आबादी अधिक है वहाँ मुसलमान जनसंख्या का 7.8 प्रतिशत है।

पश्चिम बंगाल जहाँ मुसलमानों जनसंख्या का 25 प्रतिशत है। न्यायपालिका के मुख्य पदों पर मात्र 5 प्रतिशत हैं, जम्मू कश्मीर में जहाँ मुस्लिम आबादी 66.97 प्रतिशत है न्यायपालिका में वे 48.3 प्रतिशत पदों पर है। अपवाद स्वरूप आन्ध्र प्रदेश न्यायपालिका में 12.4 प्रतिशत मुसलमान हैं, जबकि उनकी आबादी 9.4 प्रतिशत है।''

3. विभिन्न धार्मिक समुदायों के पूर्वाग्रहों और पक्षपातपूर्ण भावनायें अल्पसंख्यक समुदायों की समस्या का प्रमुख कारण है जब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक अपने धर्म, संस्कृति और व्यवहार प्रतिमानों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग मानते रहते हैं तो उनके बीच की दूरी बढ़ने के साथ ही वे एक दूसरे को अविश्वास की निगाह से देखने लगते है।
4. राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थ हेतु अल्पसंख्यकों के लिए ऐसी सुविधाओं की मांग करते है जो संवैधानिक व्यवहार एवं समता के अनुकूल न हो। उनका व्यवहार अल्पसंख्यकों को असमंजस में डाल देता है।
5. कुछ साम्प्रदायिक संगठन मुस्लिम समुदाय के एक बड़े अशिक्षित एवं मेहनतकश वर्ग को धर्म के नाम पर किसी भी ऐसे व्यवहार की अनुमति नहीं देते जो उनकी परम्परा से भिन्न हो। जिसके कारण इन समुदायों में शैक्षणिक, आर्थिक एवं वैवाहिक सुधार बहुत कम हो सके।
6. बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक नेता अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु धर्म के आधार पर समाज में तनाव पैदा करते हैं जिसके कारण अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित महसूस करने लगता है।

इसके अलावा आर्थिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक पृथकता की समस्या, साम्प्रदायिक तनाव, भाषा की समस्या एवं तेजी से बदल रहे सामाजिक परिवेश में अनुकूलन की समस्या आदि प्रमुख मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्यायें हैं।

समय–समय पर होने वाले साम्प्रदायिक दंगों के कारण आज अल्पसंख्यकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी सुरक्षा की है। इस समस्या के निदान हेतु **आचार्य बिनोवा भावे** ने कहा था कि ''हमारे यहाँ जो मुसलमान, ईसाई बगैरह अल्पसंख्यक है उनका उत्तम रक्षण होना चाहिए। प्रेम से उनका बचाव करना चाहिए, यह वृत्ति अगर नहीं होगी तो आप लाख कोशिश करें तो भी आपकी आजादी नहीं रहेगी। यह आप लिख लीजिए।''

गार्डनर मर्फी (1953) ने अपने शोध में इसके ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए यह उल्लेख किया है कि असुरक्षा एवं सन्देह की भावना के कारण हिन्दू, मुस्लिम समुदाय के मध्य तनाव बना रहता है। **मोहसिन** (1976) ने अपने अध्ययन में पाया कि असुरक्षा और जातीय पूर्वाग्रह की भावना के कारण सन्देह का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। **कैम्पबेल** (1966) ने माना है दोनों समुदायों के मध्य तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण पूर्वाग्रह और जातीय संकीर्णता है। इस प्रकार व्यापक रूप से चर्चा करने पर यह निष्कर्ष आता है कि स्वतंत्रयोत्तर काल से ही जातीय संकीर्णता असुरक्षा और अन्तर्जातीय संघर्ष ने हिन्दू मुस्लिम विद्वेश का विस्तार किया वर्तमान समय में विदेशी ताकतों द्वारा लगातार इस क्षेत्र में तनाव फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि प्रगतिवादी बुद्धिजीवी समाज अपने सार्थक प्रयत्नों के द्वारा इस दुष्चक्र को खत्म कर सकता है।

अल्पसंख्यकों की समस्याओं एवं उनके संरक्षण हेतु किये गये प्रावधान (प्रयत्न) : संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 (1) यह उपबन्धित करता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रबन्ध का अधिकार होगा ।

अनुच्छेद 16 तथा 25 में अल्पसंख्यकों को सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर देने और व्यक्ति को किसी भी धर्म का प्रचार करने या उसे स्वीकार करने का अधिकार दिया गया है ।

अनुच्छेद 29 भारत के सभी नागरिकों को अपनी विशेष भाषा संस्कृति और लिपि को बनाये रखने का प्रावधान है ।

अनुच्छेद 38 में दूसरे नागरिकों की तरह अल्पसंख्यकों को भी कोई व्यवसाय करने, धार्मिक आस्था रखने और स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 350 – बी के अन्तर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए पृथक आयुक्त को नियुक्त किया गया है। इसका काम भाषायी अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुरक्षाओं से सम्बन्धित जानकारी करके उनका समुचित समाधान करना है। सरकारी प्रयत्नः भारत में भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। सरकार ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किये सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक आधार पर मुसलमानों, सिक्खों, ईसाईयों, बौद्धों तथा पारसियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गयी है। 2001 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या में इन अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या 17 प्रतिशत से कुछ अधिक थी। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए उन्हें सभी तरह का संरक्षण दिया जायेगा। धार्मिक और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने **सन् 1978 में एक अल्पसंख्यक आयोग** की स्थापना की। यह आयोग अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाओं तथा उनसे सम्बन्धित नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। सन् 1992 में लोक सभा द्वारा ''**अल्पसंख्यकों पर राष्ट्रीय आयोग**'' कानून पास किया गया। इसके अन्तर्गत 1993 में अल्पसंख्यकों के लिए 1978 के आयोग की जगह एक नये राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की गयी। अब जनवरी 2000 से इस राष्ट्रीय आयोग का पुर्नगठन करके इसे एक ऐसा रूप दिया गया है जिससे अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान में उपयोगी भूमिका निभा सके। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा पांच सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसका सम्बन्ध मुख्यतः साम्प्रदायिक दंगों उत्पन्न परिस्थितियों का समाधान करना। सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था करना, जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा साथ–साथ किया जाता है। सार्वजनिक सेवाओं में अल्पसंख्यकों के सह–भाग को बढ़ाने तथा उन्हें व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सन् 1991–93 से अल्पसंख्यकों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। 9 वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 2001 तक अल्पसंख्यक समुदायों के दुर्बल लोगों में से 21 हजार से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस समय 41 चुने हुए जिलों में अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे है।

अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा पांच सौ करोड़ की पूँजी एक ''**राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम**'' की स्थापना की गयी। इसके द्वारा अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित स्त्रियों और व्यवसायिक समूहों को वित्तीय सहायता दी जाती है। सन् 2000–01 के दौरान

इस नियम में बीस हजार से भी अधिक अल्पसंख्यकों लगभग 72 करोड़ रूपये की सहायता दी। अल्पसंख्यकों को प्राप्त होने वाले विशेष अधिकारों के अन्तर्गत वे अपने लिये अलग शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठान स्थापित करके उनका स्वयं संचालन कर सकते है। ऐसी संस्थाओं में नियुक्तियों का अधिकार भी संस्था के प्रबन्ध मण्डल को दिया गया है।

सुझाव

1. समाज में ऐसी परिस्थितियों पैदा की जाये कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बिना भेदभाव के सहयोग करते हुए सामाजिक एकीकरण में अपना योगदान दे सके ।
2. अल्पसंख्यकों की समस्यायें अधिकतर मनोवैज्ञानिक है संविधान द्वारा सभी को समता का अधिकार प्राप्त है। वे अपने को भारत का अभिन्न नागरिक मानकर राष्ट्रवाद को सहयोग दे।
3. अल्पसंख्यकों को धार्मिक कट्टरता की बजाय अपने चहुंमुखी विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए ।
4. अल्पसंख्यकों की सरकारी नौकरियों में उचित भागीदारी सुनिश्चित की जाये ।
5. शिक्षा संस्थाओं की सरकारी नौकरियों में उचित और सामाजिक विशेषताओं से विद्यार्थियों को परिचित कराना बहुत लाभदायक हो सकता है। इससे एक ओर तो बहुसंख्यक समूह अल्पसंख्यक समूह की संस्कृति से परिचित होगे और दूसरी ओर स्वयं अल्पसंख्यक समूहों में भी अलगाववादी विचार उत्पन्न नहीं होगे ।
6. अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के सभी तीज त्यौहारों को मिल – जुलकर मनाया जाय।
7. अल्पसंख्यकों को राजनीतिक कुचक्रों से सावधान रहना चाहिए। भारत के सभी नागरिक चाहे वे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक सांवैधानिक दृष्टि से समान है। फिर भी अल्पसंख्यकों को संविधान एवं सरकार द्वारा कुछ विशेष संरक्षण प्रदान करने का मूल कारण यह है कि बहुसंख्यक समुदाय अपनी संख्याशक्ति जनशक्ति के आधार पर अपनी संस्कृति एवं अधिकारों की रक्षा कर सकता है। परन्तु अल्पसंख्यक समुदाय अपनी कम संख्याशक्ति जनशक्ति एवं बहुसंख्यकों के प्रभुत्व एवं दबाव के कारण उन्हें अपनी संस्कृति एवं अधिकारों की रक्षा कर पाना सन्देहजनक लगता है। इसी आधार पर दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण दिया गया है ।

सन्दर्भ

1. अग्रवाल, डॉ० जी०के०. भारत में समाज साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा०) लि०: आगरा. पृष्ठ **125, 126.**
2. तालिका न० 1 भारत. (2007). क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स (प्रा०) लि०: नोएडा. पृष्ठ **111, 116.**
3. तालिका न0– 2. त्रिपाठी, केशरी नन्दन. उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन. बौद्धिक प्रकाशन 154/91 डी०: रामानन्द नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद. पृष्ठ **138.**
4. नारायण, राय विभूति. (2002). साम्प्रदायिक दंगे व पुलिस. राधा प्रकाशनः पृष्ठ **06.**
5. उक्त पुस्तक. पृष्ठ **110.**
6. मेनस्ट्रीम दिसम्बर. 22–28. 2006. पृष्ठ **31.**

7. भावे, आचार्य विनोबा. अल्पसंख्यकों की रक्षा पर आजादी निर्भर नामक लेख सर्वोदय सामयिकी से उद्धृत सर्व सेवा संघ प्रकाशनः बनारस पृष्ठ **101.**
8. यादव, डॉ० वीरेन्द्र. भारतीय मुसलमान दिशा एवं दशा, राधा पब्लिकेशन्सः नई दिल्ली 110002. पृष्ठ **23.**
9. पाण्डेय, जय नारायण. भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ एजेंसी इलाहाबाद. पृष्ठ **262.**
10. अग्रवाल, डॉ० जी०के०. समाजशास्त्र, एस०बी०पी०डी० पब्लिशिंग हाउसः आगरा. पृष्ठ **83, 84.**
11. मुकर्जी, रवीन्द्र नाथ. भारतीय सामाजिक संस्थायें. विवेक प्रकाशनः जवाहर नगर, दिल्ली. 7. पृष्ठ **413.**